संचिका संख्या– ब-15/बी0एस0जी0-75/2018(खण्ड)- 638 /वि0

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

पंकज कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः– 20/7/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के अनुदानों की माँगों के संबंध में।**

महाशय,

बिहार विधान मंडल में दिनांक 20.07.2018 को वित्तीय वर्ष 2018–19 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पुस्तिका का उपस्थापन किया गया । प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद–विवाद, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक बिहार विधान सभा में दिनांक 25.07.2018 को विचारित कर पारित किया जाना है। प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की पुस्तिका संलग्न कर भेजी जा रही है ताकि यह जानकारी हो सके कि विभाग से संबंधित माँग में कितनी राशि का प्रावधान प्रस्तावित है।

प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी से संबंधित विनियोग विधेयक के विधान मंडल से पारित होने, महामहिम की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् एवं विधि विभाग से अधिसूचित किये जाने के उपरांत यथा समय सूचित किया जायेगा। प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सीधे अनुसूची से प्रावधानित राशि का व्यय अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत ही किया जाना है। अगर नया उपशीर्ष खोला गया है तो महालेखाकार की सहमति प्राप्त होने पर ही राशि का व्यय किया जाना होगा।

विश्वासभाजन

ह0/- 20/7/18

(पंकज कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी